न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 39/2022

1 रामस्वरूप पुत्र सुरजा जाति जाट निवासी धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जगुराम पुत्र सुरजा।
2 गोरधन पुत्र डूंगाराम।
3 रामकुमार पुत्र डूंगाराम।
4 श्याना देवी पत्नी डूंगाराम।
5 मोहनी देवी पत्नी जगुराम समस्त जाति जाट निवासीगण धमोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
6 तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ निर्णय बअदालत उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू मुकदमा उनवानी रामस्वरूप बनाम जगुराम वगैरह अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट 1955 मुकदमा नम्बर पुराना 186/2019 व मुकदमा नम्बर 60/2021, मुकदमा नम्बर नया 202/2021
निर्णय दिनांक 15.03.2022

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 9-2-23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 202/2021 में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये वकील प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 (क) इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम धमोरा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 264, 265, 268, 272, 267 रकबा 0.060, 0. 90, 072, 1.51, 0.67 है. कुल किता 5 का कुल रकबा 3.86 है.भूमि अवस्थित है जिनमें से खसरा नम्बर 264, 265, 268 प्रार्थी व अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि हैं, जिसमें प्रार्थी फसल करके प्रार्थी अपने परिवार का पालन पोषण करता है। प्रार्थी का खेत खसरा संख्या 264, 265, 268 में आने जाने के लिये एक कदमी रास्ता बना हुआ हैं जो राजस्व रिकार्ड दर्ज नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 272 के बीच से एक डामर सड़क निकलती है। प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 272 से ही डामर सड़क से एक रास्ता आता है। जिससे ही प्रार्थी स्वयं आता है व फसल आदि की बुआई के लिये ट्रेक्टर आदि लेकर आता हैं। प्रार्थना पत्र के संलग्न मानचित्र में दर्शित ए सी बी बिन्दु रास्ते का उपयोग उपभोग भूमि खसरा नम्बर 264, 265, 268 में आने जाने केंलिये करते हैं। प्रार्थना पत्र के संलग्न मानचित्र में दर्शित निशानात ए सी बी रास्ते के अलावा प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 264, 265, 268 में आने जाने का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

और कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है व अप्रार्थीगण जब मर्जी आती हे तब ही रास्ते को बंद कर देते हैं। प्रार्थना पत्र के संलग्न मानचित्र में दर्शित ए से बी रास्ता 4 मीटर रास्ता प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक कटाण शुदा रास्ता किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई आवेदक का आवेदन खारिज किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन किये बिना अपीलांट का आवेदन धारा 251ए खारिज किया है। अपीलांट को खसरा नम्बर 272 से 267 तक रास्ता दिया जाना था। प्रस्तुत प्रकरण में स्वंय पीठासीन अधिकारी ने स्थल निरीक्षण किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रचलित रास्ते का अंकन करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अपील स्वीकार कर तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार रास्ता अंकन करने का आदेश दिया जावें। विकल्प में प्रकरण निर्देशों के साथ रिमाण्ड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रार्थी की भूमि में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 272 से ही डामर सड़क से एक रास्ता आता है जिससे ही प्रार्थी स्वंय आता है। जवाब प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार ए से बी रास्ता सबसे सुलभ व लघुतम रास्ता है, जिसमें किसी तरह का कोई घुमाव नहीं आता है। खसरा नम्बर 265 के लिये रास्ता क्लेम किया जा रहा है, उस स्थल के पूर्व दिशा की ओर भूमि खसरा नम्बर 256,255 व 271 स्थित है, भूमि खसरा नम्बर 265 तक मौके पर करीबन 50 सालों से प्रचलित रास्ता भूमि खसरा नम्बर 271,255 व 256 में अवस्थित है, इस तरह से भूमि खसरा नम्बर 265 में आवागमन के लिये उत्तरदाता की भूमि से मात्र 50 मीटर की दूरी पर वैकल्पिक रास्ता है इस तरह से सुविधाजनक व कम दूरी का रास्ता खसरा नम्बर 265 के लिये है तथा उक्त रास्ते में कोई व्यवधान भी नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 271,256 व 265 के सहखातेदारान से मिलकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

आपस में साज करके सम्पूर्ण स्थिति को छुपाकर गलत रूप से प्रकरण के प्रार्थीगण ने उत्तरदाता की भूमि से रास्ता क्लेम किया है, जबकि उपरोक्त खसरा नम्बरान से रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी ने खसरा नम्बर 268 से रास्ता चाहा हैं जो प्रार्थी व अप्रार्थी की सह खातेदारी की भूमि है जिसका विभाजन का वाद चल रहा हैं। एक सह खातेदार दूसरे सह खातेदार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251ए के तहत रास्ता नहीं ले सकता है। विचारण न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों का विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन किये बिना अपीलांट का आवेदन धारा 251ए खारिज किया है। अपीलांट द्वारा खसरा नम्बर 272 से 267 तक रास्ता चाहा गया था। प्रस्तुत प्रकरण में स्वंय पीठासीन अधिकारी ने स्थल निरीक्षण किया है किन्तु मौका रिपोर्ट तैयार नही की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रचलित रास्ते का अंकन करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि मौके पर रास्ता उपलब्ध नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को धारा 251ए के प्रावधानों के अनुरूप विचारण कर रास्ता प्रदान करने के सन्दर्भ में निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। ऐसा नही कर विचारण न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि रास्ते के सन्दर्भ में धारा 251ए के विधिक प्रावधानों की पालना कर बाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2023 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 9-2-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर